

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सुपौल के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 03 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 90,000 /- (नब्बे हजार रुपए) तथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 04 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 2,00,000 /- (दो लाख रुपए) तथा दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को भुगतान हेतु रु० 2,00,000 /- (दो लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 4,90,000/- (चार लाख नब्बे हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

अतः 08 मृतकों/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम संबंध/दावेदार, आधार सं०.	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/ मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मनेजर चौपाल, 48, किशुन चौपाल, अनु० जाति	मुकेश कुमार (पुत्र)	1546, 31.12. 2025	ग्रा०+पो०+ थाना-रतनपुर, प्र०-बंसतपुर, जिला-सुपौल, मो०-9693179608	10083 31030 19676 6	UBGB, PUNB OMBG B06	रु० 30,000 / - (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक का कार्य
2	स्व० सुकल शर्मा, 41, नेती लाल शर्मा, अनु० जाति	मेदनी देवी (पत्नी)	01, 01.01. 2026	ग्रा०-बतरान, पो०- फिंगलास, थाना+प्र०-राध गोपुर, जिला-सुपौल, मो०-8288893042	58857 12991	CBI, CBINO 28006 4	रु० 30,000 / - (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
3	स्व० बाबू लाल शर्मा, 58, बच्चा लाल शर्मा, अनु० जाति	मनसरिया देवी (पत्नी)	42, 14.01. 2026	ग्रा०-भगता टोला, पो०-दौलतपुर, थाना+प्र०-राध गोपुर, जिला-सुपौल, मो०-7739612171	10086 71010 00019 1	UBGB, PUNB OMBG B06	रु० 30,000 / - (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण में अकुशल श्रमिक
4	स्व० मंजय कुमार, 29, दरपी पासवान, अनुसूचित जाति	द्रोपती कुमारी (पत्नी)	66, 22.01. 2026	ग्रा०-दुअनिया, पो०-प्रतापगंज, थाना+प्र०-प्रतापगंज, जिला-सुपौल, मो०-9877767945	40296 57964	CBI, CBINO 28242 1	रु० 2,00,000 / - (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर का कार्य

5	स्व० मनीष कुमार, 31, मुशहरू चौपाल, अनु० जाति	चंद्रकला कुमारी (पत्नी)	202, 28.02. 2026	ग्रा०-पलासपुर, पो०-बैरौ, धाना+प्र०-सुपौल, जिला-सुपौल, मो०-7366904827	10810 01030 08220 5	UBGB, PUNB 0MBG 806	रु० 50,000/- - (पचास हजार रूप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूरी
6	स्व० सुरेन्द्र सरदार, 49, स्व० जोखन सरदार, अनु० जाति	संझा देवी (पत्नी)	203, 28.02. 2026	ग्रा०+पो०-रहरिया धाना+प्र०-निर्मली, जिला-सुपौल, मो०-6204223917	35956 78853 9	SBI, SBINO 00298 6	रु० 50,000/- - (पचास हजार रूप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूरी
7	स्व० जलधारी राम, 41, स्व० लखन राम, अनु० जाति	रेमनी देवी (पत्नी)	206, 28.02. 2026	ग्रा०-चकला, पो०-सखुआ, धाना+प्र०-पिपरा, जिला-सुपौल, मो०-7541089416	01011 07125 73	IPPB, IPOS0 00000 1	रु० 50,000/- - (पचास हजार रूप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूरी
8	स्व० रेणु देवी, 34, शम्भू पासवान, अनु० जाति	शम्भू पासवान (पति)	208, 28.02. 2026	ग्रा०+पो०-नारायण पुर, धाना-भपटियाही, प्र०-सरायगढ़ भपटियाही, जिला-सुपौल, मो०-8146007461	43718 66197 8	SBI, SBINO 01714 2	रु० 50,000/- - (पचास हजार रूप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक

कुल रु० 4,90,000/-
(चार लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-29/2025-143 पटना, दिनांक :-18/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त

कुल स्वीकृत राशि कुल:- रू० 4,90,000/- (चार लाख नब्बे हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, सहरसा/श्रम अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

12/06/2024
Signed by Rohit Kumar

Date: 12-06-2024 15:51:29

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhanu

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक